भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3825
11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: फसल नुकसान के लिए मुआवजा
3825. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) आन्ध्र प्रदेश में मिर्च और अन्य किसानों के बकाया फसल हानि मुआवजे का ब्यौरा क्या है और क्या राज्य सरकार द्वारा समतुल्य निधियां जारी न किए जाने के कारण संवितरण में विलंब हो रहा है;

(ख) खरीफ 2024 और रबी 2024-25 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कुल कितनी फसल क्षति का आकलन किया गया है और इस क्षति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी एनडीआरएफ या एसडीआरएफ निधि जारी की गई है और क्या जारी की गई राशि प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केला, मिर्च जैसी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बागवानी फसलों के लिए कवरेज की स्थिति क्या है और क्या मंत्रालय द्वारा छोटे किसानों के लिए वहनीय प्रीमियम के साथ विशेषीकृत राष्ट्रीय बागवानी फसल बीमा योजना के लिए कोई प्रस्ताव किया गया है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, अधिसूचित आपदाओं की स्थिति में जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के रूप में उपलब्ध निधि से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत उपाय करती हैं। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एसडीआरएफ के अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित पर मूल्यांकन और एनडीआरएफ के तहत सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत करना शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता प्रतिपूर्ति के रूप में नहीं होकर राहत के रूप में होती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को एसडीआरएफ के तहत 1380.80 करोड़ रुपये (1036.00 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा + 344.80 करोड़ रुपये राज्य हिस्सा) आवंटित किए गए थे। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के दौरान एनडीआरएफ से 56.895 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। राज्य के साथ एसडीआरएफ के तहत उपलब्ध शेष राशि रु. 2085.85 करोड़ है। आंध्र प्रदेश को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31(16वें वित्त आयोग के तहत) की अवधि के लिए एसडीआरएफ के तहत 6533 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, खरीफ 2024 और रबी 2024-25 के दौरान 15,860.83 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा तक फसल क्षति का आकलन किया गया था। इसमें से 14,460.86 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए किसानों को इनपुट सब्सिडी जारी की गई थी। ब्यौरा का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

सरकार ने खरीफ 2016 से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के कारण होने वाली फसल हानि/क्षति की स्थिति में और किसानों की आय को स्थिर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) शुरू की है।

यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। इसके अलावा, पीएमएफबीवाई के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वयन के लिए जिलों और फसलों को अधिसूचित करना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। यह योजना आंध्र प्रदेश सहित 25 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की जा रही है। सभी इच्छुक किसान योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए पात्र हैं।

इस योजना के तहत, अधिकांश दावों का निपटान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के प्रचालन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित समय सीमा अर्थात बीमा कंपनियों द्वारा संबंधित राज्य सरकार से अपेक्षित उपज डेटा प्राप्त होने के 21 दिनों के अंदर किया जाता है। हालांकि, पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन के दौरान, कुछ दावे लंबित रहे, जिनके मुख्य कारण निम्नवत् हैं :

(क) दावों में राज्य सरकार के हिस्से को प्रदान करने में देरी
(ख) गलत/देरी से बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण और नामांकित किसानों के बैंक खाते के विवरण का सत्यापन नहीं किया जाना
(ग) उपज के आंकड़ों में विसंगति और परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि।

इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का निपटान योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके समाधान के बाद किया जाता है। हालाँकि, आंध्र प्रदेश में लंबित दावों के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है:

पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस: वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक (दिनांक 24.07.2026 तक) आंध्र प्रदेश की वर्षवार कवरेज और दावा रिपोर्ट

वर्ष	नामांकित किसान आवेदन	बीमित क्षेत्र	बीमित राशि	लंबित दावे
	(लाख में)	(लाख हेक्टेयर में)	(रु. करोड़ में)	
2022-23	123.87	35.75	30,324.53	64.91
2023-24	132.55	42.62	38,325.48	2,038.52
2024-25	93.45	32.43	30,874.25	714.41
2025-26	18.88	7.66	6,728.53	0.01
कुल	**368.76**	**118.46**	**1,06,252.79**	**2,817.86**

राज्य सरकार विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत फसलों को अधिसूचित करती है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत अधिसूचित आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बागवानी फसलों का विवरण नीचे दिया गया है:

i. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत, कवर की गई बागवानी फसलें निम्न हैं :
(क) खरीफ: हल्दी, प्याज, लाल मिर्च
(ख) रबी: प्याज, लाल मिर्च।

ii. पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) के तहत, फसलें जैसे
(क) खरीफ: केला, अनार, मीठा संतरा, टमाटर, एसिड लाइम
(ख) रबी: काजू, टमाटर, आम।

अनुबंध

आंध्र प्रदेश द्वारा खरीफ 2024 और रबी 2024-25 के दौरान जारी की गई इनपुट सब्सिडी				
क्र. सं.	**आपदा का नाम**	**प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर)**	**प्रभावित किसानों की संख्या**	**जारी की गई इनपुट सब्सिडी (रुपए लाख में)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	खरीफ 2024			
1	जुलाई-2024 के दौरान भारी बारिश और बाढ़	2700.26	8374	578.18
2	अगस्त और सितंबर-2024 के दौरान भारी बारिश और बाढ़	9543.78	16206	3359.90
3	ओलावृष्टि/हवाएं मई – 2024 के दौरान	1766.19	2856	431.93
4	अक्टूबर 2024 के दौरान भारी बारिश और बाढ़	309.9	501	50.17
	उप-योग	**14320.13**	**27937**	**4420.18**
	रबी 2024-25			
5	नवंबर और दिसंबर, 2024 में तेज हवाएं/बारिश/बाढ़ (फेंगल चक्रवात)	140.73	353	42.21
	उप-योग	**140.73**	**353**	**42.21**
	2024-25 कुल	**14460.86**	**28290**	**4462.39**
